श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

आयुष्मान भारत

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
स्वास्थ्य आपका, साथ हमारा

श्री प्रफुल पटेल
माननीय प्रशासक - दमण, दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली

संघ प्रदेश प्रशासन दमण, दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उदेश्य सामाजिक आर्थिक रुप से गरीब सभी परिवारो को रु. 5 लाख का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है।

योजना में मिलने वाले लाभ

१) रु. 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रति साल, प्रति परिवार।
२) परिवार के आकार, आयु और लिंग का कोई प्रतिबंध नहीं हैं।
३) सभी सरकारी एवं नेटवर्क प्राइवेट अस्पतालो में कैशलेस सेवा मिलेगी।
४) पहले से मौजूद सभी बीमारियों पर यह बीमा पोलीसी पहले दिन से लागू होगी।
५) अस्पताल मे भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोडने के बाद का इलाज पर होने वाला खर्च भी बीमा में शामिल हैं।
६) विभिन्न चिकित्सा और शल्य चिकित्सा को कवर किया जायगा।
७) योजना का लाभ देश मे कही से भी ले सकते हैं।

लाभार्थी पंजीकरण 24 सितंबर से शुरु हो रहा है

संघ प्रदेश प्रशासन, दमण - दीव और दादरा नगर हवेली द्वारा यह योजना में अन्य लाभार्थीओ को भी जोड गया हैं

लाभार्थियों की श्रेणियाँ

1
इस योजना के तहत सामाजीक और आर्थिक रुप से पिछडे परिवार की सुची मे शामील सभी परिवारो के प्रीमियम का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा।

2
अन्य निवासी परिवार, जिनके परिवार की सालाना आय रु एक लाख से कम है उनके प्रीमियम का भुगतान प्रशासन द्वारा किया जायेगा।

3
अन्य निवासी परिवार जिनके परिवार की सालाना आय रु एक लाख से ज्यादा है वह परिवार प्रीमियम (रु 2070) का भुगतान स्वयं करके इस योजना से जुड सकते है।

इस योजना में जुड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज

- मामलतदार द्वारा जारी किया गया आय प्रमाणपत्र (श्रेणी २ के लियें)

एवं निम्नलिखित दस्तावेजो मे से कोई भी एक

- राशन कार्ड
- वोटर कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- अन्य निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पैंन कार्ड
- पेंशन फोटो काड